पत्र सं०–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य–योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन के तहत राज्य में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य–योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन के तहत राज्य में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

2. प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी में आधारभूत संरचना एवं तकनीकी समावेशन के विभिन्न नवाचार में बाह्य स्रोत से तकनीकी विशेषज्ञ एवं एजेंसी की कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करना है ताकि Feasibility प्रतिवेदन, DPR निर्माण, वास्तुशिल्पीय डिजाइन (Architectural design), संचालन हेतु संस्थागत विशेषज्ञता/तकनीकी सेवा आदि आवश्यक सेवाएँ प्राप्त कर क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा सके।

3. योजना से लाभ–
   - (i). इससे आधारभूत संरचना से संबंधित योजना के क्रियान्वयन में आसानी होगी।
   - (ii). तकनीकी समावेशन के विभिन्न नवाचार हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की सेवा हेतु राशि उपलब्ध हो सकेगी।
   - (iii). प्रस्तावित योजना का ससमय Feasibility report एवं DPR तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजने में सहायक होगी।
   - (iv). आधारभूत संरचना के निर्माण के पश्चात् प्रोटोकॉल के अनुसार क्रियान्वयन एवं संचालन सुलभ हो सकेगी।
   - (v). राज्य की मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

(vi). मत्स्य कृषकों/मछुओं को तकनीकी सेवा पहुँचाने में मदद मिलेगी।

4. योजना का भौतिक आकार एवं क्रियान्वयन का समय सीमा–
राज्य में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा के तहत feasibility प्रतिवेदन, DPR निर्माण, वास्तुशिल्पीय डिजाइन (Architectural design), संचालन हेतु संस्थागत विशेषज्ञता/तकनीकी सेवा आदि आवश्यक सेवाएँ प्राप्त की जायेगी। इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा आगामी वर्षो में किया जायेगा।

5. तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान–
इस योजनान्तर्गत राज्य में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान यथा–केन्द्र सरकार/एन०एफ० डी०बी०, हैदराबाद/राज्य सरकार/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) के Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसी/आई०सी०ए०आर० के मात्स्यिकी संस्थान/सी०आई० एफ०ई० के मात्स्यिकी शैक्षणिक संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र आदि संस्थानों से तकनीकी कन्सल्टेन्सी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदनोंपरांत प्राप्त किया जाएगा।

6. कार्य का दायरा (Scope of Work)–
योजनान्तर्गत राज्य में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किया जाएगा।

(i). स्थल निरीक्षण–सेवा प्रदाता संस्थान द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करके स्थल की समग्र समीक्षा किया जाएगा।

(ii). सम्भाव्यता रिपोर्ट–परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता पर रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार किया जाएगा।

(iii). वास्तुशिल्पीय डिजाइन (Architectural design) तथा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लागत अनुमान सहित निर्माण और संचालन की योजनाएं तैयार किया जाएगा।

(iv). परियोजना के निर्माण के क्रम में आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

(v). परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के संचालन में आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

7. इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा आगामी वर्षो में किया जायेगा।

8. इस योजना पर कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपया मात्र) राशि व्यय होने का अनुमान है। इससे संबंधित विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

9. इस योजना के तहत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10. निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आहरित कर, बी०एल०डी०ए०, पटना के पी०एल० खाता

में अंतरित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदाता एजेन्सी/संस्थाओं को कन्सल्टेन्सी सेवा शुल्क की राशि उनके बैंक खाता में अंतरित/उपलब्ध कराया जाएगा।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
12. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो सचिव/प्रधान सचिव की अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना संशोधन/दिशा निर्देश निर्गत करेगें।
13. चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101 –मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन विपत्र कोड 02–2405000010101 के विषय शीर्ष–0101.28.03 –कन्सल्टेन्सी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट उपबंध प्राप्त कर इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन किया जायेगा।
14. दिनांक–05.05.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03/2025 के पृष्ठ 21–20/प०.
15. चूँकि यह एक नयी राज्य योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03/2025 के पृष्ठ–14/टि० एवं दिनांक–14.05.2025.
16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं। संचिका संख्या 6 एस०एस०(6)03/2025 के पृष्ठ–14/टि० तथा डायरी संख्या–223, दिनांक–08.05.2025.
17. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2025– 2208 /पटना–15, दिनांक– 20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना के तहत कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	राज्य में प्रस्तावित / निर्माणाधीन मात्स्यिकी आधारभूत संरचनाओं के लिए तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने की योजना।	0101.28.03–कन्सल्टेंसी	₹ 200.00	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		कुल योग –	**₹ 200.00**		

(दो करोड़ रुपये) मात्र।

2208
20/08/25

19/8/25

सरकार के अपर सचिव